Serving Education for Last 40 Years

NEERAJ®

M.P.S.E.-8

भारत में राज्य की राजनीति

(State Politics in India)

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: *Arun Chatterjee,* M.A. (Pol. Science, Sociology, Philosophy)

NEERAJ PUBLICATIONS
(Publishers of Educational Books)

Retail Sales Office:

1507, First Floor, Nai Sarak, Delhi - 6 | Mob.: 8510009872, 8510009878
E-mail : info@neerajbooks.com Website : www.neerajbooks.com

MRP ₹ 400/-

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

(Publishers of Educational Books)

Retail Sales Office: 1507, First Floor, Nai Sarak, Delhi - 6 | Mob.: 8510009872, 8510009878

E-mail : info@neerajbooks.com Website : www.neerajbooks.com

© Copyright Reserved with the Publishers only.

Reprint Edition with Updation of Sample Question Paper Only

Typesetting by: Competent Computers, Printed at: Novelty Printing Press

Disclaimer/T&C

1. *For the best & up-to-date study & results, please prefer the recommended textbooks/study material only.*
2. *This book is just a Guide Book/Reference Book published by NEERAJ PUBLICATIONS based on the suggested syllabus by a particular Board/University.*
3. *These books are prepared by the author for the help, guidance and reference of the student to get an idea of how he/she can study easily in a short time duration. Content matter & Sample answers given in this Book may be Seen as the Guide/Reference Material only. Neither the publisher nor the author or seller will be responsible for any damage or loss due to any mistake, error or discrepancy as we do not claim the Accuracy of these Solutions/Answers. Any Omission or Error is highly regretted though every care has been taken while preparing, printing, composing and proofreading of these Books. As all the Composing, Printing, Publishing and Proof Reading, etc., are done by Human only and chances of Human Error could not be denied. Any mistake, error or discrepancy noted may be brought to the publishers notice which shall be taken care of in the next edition and thereafter as a good gesture by our company he/she would be provided the rectified Book free of cost. Please consult your Teacher/Tutor or refer to the prescribed & recommended study material of the university/board/institute/ Govt. of India Publication or notification if you have any doubts or confusions regarding any information, data, concept, results, etc. before you appear in the exam or Prepare your Assignments before submitting to the University/Board/Institute.*
4. *In case of any dispute whatsoever the maximum anybody can claim against NEERAJ PUBLICATIONS is just for the price of the Book.*
5. *The number of questions in NEERAJ study materials are indicative of general scope and design of the question paper.*
6. *Any type of ONLINE Sale/Resale of "NEERAJ BOOKS" published by "NEERAJ PUBLICATIONS" in Printed Book format (Hard Copy), Soft Copy, E-book on any Website, Web Portals, any Social Media Platforms – Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, LinkedIn etc. and also on any Online Shopping Sites, like – Amazon, Flipkart, eBay, Snapdeal, Meesho, Kindle, etc., is strictly not permitted without prior written permission from NEERAJ PUBLICATIONS. Any such online sale activity of any NEERAJ BOOK in Printed Book format (Hard Copy), Soft Copy, E-book format by an Individual, Company, Dealer, Bookseller, Book Trader or Distributor will be termed as ILLEGAL SALE of NEERAJ BOOKS and will invite legal action against the offenders.*
7. *The User agrees Not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit for any commercial purposes, any portion of these Books without the written permission of the publisher. This book or part thereof cannot be translated or reproduced in any form (except for review or criticism) without the written permission of the publishers.*
8. *All material prewritten or custom written is intended for the sole purpose of research and exemplary purposes only. We encourage you to use our material as a research and study aid only. Plagiarism is a crime, and we condone such behaviour. Please use our material responsibly.*
9. *All matters, terms & disputes are subject to Delhi Jurisdiction only.*

Get books by Post & Pay Cash on Delivery :

If you want to Buy NEERAJ BOOKS by post then please order your complete requirement at our Website www.neerajbooks.com where you can select your Required NEERAJ BOOKS after seeing the Details of the Course, Subject, Printed Price & the Cover-pages (Title) of NEERAJ BOOKS.

While placing your Order at our Website www.neerajbooks.com You may also avail the "Special Discount Schemes" being offered at our Official website www.neerajbooks.com.

No need to pay in advance as you may pay "Cash on Delivery" (All The Payment including the Price of the Book & the Postal Charges, etc.) are to be Paid to the Delivery Person at the time when You take the Delivery of the Books & they shall Pass the Value of the Goods to us. We usually dispatch the books Nearly within 2-3 days after we receive your order and it takes Nearly 3-4 days in the postal service to reach your Destination (In total it take nearly 6-7 days).

<u>*Content*</u>

भारत में राज्य की राजनीति

(State Politics in India)

Question Paper—June-2023 (Solved) 1-2
Question Paper—December-2022 (Solved) 1-2
Question Paper—Exam Held in March-2022 (Solved) 1
Question Paper—Exam Held in August-2021 (Solved) 1-3
Question Paper—Exam Held in February-2021 (Solved) 1-2
Question Paper—December, 2019 (Solved) 1-2
Question Paper—June, 2019 (Solved) 1-2
Question Paper—December, 2018 (Solved) 1-2
Question Paper—June, 2018 (Solved) 1-2
Question Paper—December, 2017 (Solved) 1-4
Question Paper—June, 2017 (Solved) 1-2

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page
1.	भारत में राज्यीय राजनीति का विकास	1
2.	विश्लेषण के दृष्टिकोण	18
3.	भारतीय विविधताओं की प्रकृति व राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाएँ	41
4.	संविधान व्यवस्था में राज्य	53
5.	राज्य प्रणाली का विकास	73
6.	चुनाव और चुनावी राजनीति	91
7.	दल और दलीय व्यवस्था	110

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page

8. भारतीय राज्यों में मतभेद प्रतिमान और विरोधान्दोलन 131

9. विकास के मुद्दे और क्षेत्रीय विषमताएँ 142

10. कृषि परिवर्तन एवं भूमि सुधार 157

11. उद्योग-धंधे और श्रमिक वर्ग 166

12. भूमण्डलीकरण, उदारीकरण : राज्यीय राजनीतिक-तात्पर्य 179

13. अन्तर्राज्यीय विवाद : जलीय व क्षेत्रीय सीमाएँ 189

14. साम्प्रदायिक राजनीति के प्रतिमान 194

15. दलितों और पिछड़े वर्गों की अधिकार-माँग 217

16. राज्यीय राजनीति में भाषायी एवं नृजातीय अल्पसंख्यक 230

17. भारत में राज्य स्वायत्तता आन्दोलन 242

■ ■

Sample Preview
of the
Solved
Sample Question
Papers

Published by:

NEERAJ
PUBLICATIONS
www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2023

(Solved)

भारत में राज्य की राजनीति

M.P.S.E.-8

(State Politics in India)

समय : 2 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 50*

नोट : *प्रत्येक अनुभाग में से कम-से कम **दो** प्रश्न चुनते हुए, कुल **पांच** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक **समान** हैं।*

अनुभाग-I

प्रश्न 1. जाति और असपृश्यता के प्रति राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-3, पृष्ठ-42, प्रश्न-1

प्रश्न 2. स्वतन्त्रता के पश्चात् नये राज्यों की माँग के क्या कारण हैं? व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-5, पृष्ठ-81, प्रश्न-5

प्रश्न 3. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए–

(अ) राज्यों पर केन्द्र का विधायी नियन्त्रण

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-4, पृष्ठ-54, प्रश्न-1

(ब) राज्यों की राजनीति के अध्ययन का उत्तर-आधुनिकतावादी दृष्टिकोण

उत्तर–अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर-संरचनावादी तथा उत्तर-आधुनिकतावादी उपागम संसार को एक नई दृष्टि से देखने का प्रयास है। इसका संबंध कुछ उभरते हुए तथ्यों एवं पर्याप्त सीमा तक उन परिवर्तनों का विश्लेषण करने से है, जो शीत-युद्ध के पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रकट हुए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय आपसी निर्भरता के इस युग में राष्ट्र-राज्य में वह क्षमता नहीं है कि वे अकेले अपने विकासात्मक उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। इसलिए अब क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग आवश्यक हो गया है। फलत: अनेक क्षेत्रीय संगठनों का उदय हुआ है। दूसरी ओर परमाणु युग के आगमन के कारण संभावित युद्ध से अपनी सुरक्षा के लिए अपने आप को असमर्थ अनुभव कर रहा है। इसी तरह बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ एवं अराज्यीयकर्त्ता के उदय से राष्ट्र-राज्य व्यवस्था प्रभावित हुई है। वस्तुत: यातायात व संचार सुविधाओं के विकास के कारण संसार सिमटकर छोटा हो गया है तथा पारस्परिक आत्मनिर्भरता ने सम्प्रभुता के पारम्परिक प्रेम भाव को कम कर दिया है, जिससे लगता है राष्ट्र-राज्य व्यवस्था लगभग छिन्न-भिन्न हो रही है।

उत्तर-आधुनिकतावाद शक्ति-ज्ञान संबंधों में विश्वास करता है तथा इसका मानना है कि सत्य को सामाजिक व्यवस्था से अलग नहीं किया जा सकता। इसके समर्थक अन्तर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धान्त में सत्य को परखने के लिए मूलग्रंथ-रणनीतियों का उपयोग करना चाहते हैं, ताकि अवधारणाएँ ज्ञान पर अपना प्रभाव किस प्रकार रखती हैं, यह समझा जा सके।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर-औपनिवेशिक सिद्धान्त का प्रयोग तृतीय विश्व के संदर्भ में किया जाता है। विभिन्न विचारक इसका प्रयोग उत्तर-औपनिवेशिक प्रकृति, समाज, राष्ट्रीयता और पूर्व में स्वतंत्र हुए राष्ट्रों की संस्कृति के विश्लेषण के लिए करते हैं। कुछ लेखकों का मानना है कि तृतीय विश्व की अपेक्षा उत्तर-औपनिवेशिक शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होगा कि वे क्यों अभी भी पिछड़े हुए निर्धन राष्ट्रों की श्रेणी में हैं।

प्रश्न 4. 1980 के बाद राज्य की दलीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव आया है, चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-1, पृष्ठ-11, प्रश्न-4

प्रश्न 5. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए–

(अ) विरोध और सामाजिक आन्दोलन

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-8, पृष्ठ-133, प्रश्न-1

(ब) मानव विकास में क्षेत्रीय असमानताएँ

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-9, पृष्ठ-147, प्रश्न-2

अनुभाग-II

प्रश्न 6. केन्द्र-राज्य के सम्बन्धों पर वैश्वीकरण के निहितार्थों की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-12, पृष्ठ-185, प्रश्न-3

प्रश्न 7. भारत में अन्तर्राज्यीय विवादों के स्वरूप पर टिप्पणी कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-13, पृष्ठ-192, प्रश्न-2 तथा पृष्ठ-193, प्रश्न 3

प्रश्न 8. भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों की राजनीति की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-16, पृष्ठ-133, प्रश्न-2

प्रश्न 9. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए–

(अ) पिछड़ी जातियों का संगठन

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbook.com

www.neerajbook.com

उत्तर–पिछड़ी जातियों का संगठन अथवा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes) भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत एक भारतीय संवैधानिक निकाय है, जिसे संविधान अधिनियम, 2018 (जिसे 102वां संशोधन अधिनियम, 2018 भी कहा जाता है) के माध्यम से स्थापित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 बी के तहत इसे एक संवैधानिक निकाय बनाने का प्रावधान। इसका गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। आयोग का मुख्य कार्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेना और सलाह देने के साथ-साथ उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार 2006 में ओबीसी की केंद्रीय सूची में पिछड़ी जातियों की संख्या बढ़कर 5,013+ (अधिकांश केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ों के बिना) हो गई है। अक्टूबर 2015 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रस्ताव दिया कि रु. 15 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले ओबीसी के व्यक्ति को ओबीसी के लिए न्यूनतम सीमा माना जाना चाहिए। एनसीबीसी ने ओबीसी को 'पिछड़े', 'अधिक पिछड़े' और 'अत्यंत पिछड़े' ब्लॉकों में उप-विभाजित करने और उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनके बीच 27% कोटा विभाजित करने की भी सिफारिश की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मजबूत ओबीसी कोटा लाभ पर कब्जा न कर लें।

आयोग नौकरी में आरक्षण के उद्देश्य से पिछड़े के रूप में अधिसूचित समुदायों की सूची में शामिल करने और बाहर करने पर विचार करता है और एनसीबीसी अधिनियम, 1993 की धारा 9(1) के अनुसार केंद्र सरकार को आवश्यक सलाह देता है। इसी तरह राज्यों ने भी बीसी के लिए आयोग का गठन किया। 24 जुलाई 2014 तक दो हजार से अधिक समूहों को ओबीसी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ हैं। प्रारंभ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की शिकायतों को देखने का अधिकार नहीं था (संविधान के अनुच्छेद 338(10) के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 338(5) के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इस पर गौर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी था) पिछड़े वर्गों से संबंधित सभी शिकायतें, अधिकार और सुरक्षा उपाय), लेकिन 102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम और अनुच्छेद 338बी के सम्मिलन के परिणामस्वरूप ये शक्तियाँ अब एनसीबीसी में निहित हैं।

अनुच्छेद 338बी(5) के अनुसार यह आयोग का कर्तव्य होगा–

1. इस संविधान के तहत या किसी अन्य कानून के तहत या सरकार के किसी आदेश के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना और ऐसे सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करना।

2. सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित होने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना।

3. सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास में भाग लेना और सलाह देना और संघ और किसी भी राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

4. राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समय पर, जब आयोग उचित समझे, उन सुरक्षा उपायों के कामकाज पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

5. ऐसी रिपोर्टों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सुरक्षा, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उन सुरक्षा उपायों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा उठाए जाने वाले उपायों के बारे में सिफारिशें करना।

6. सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सुरक्षा, कल्याण और विकास तथा उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना, जैसा कि राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन नियम द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं।

(ब) छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-8, पृष्ठ-134, प्रश्न-3

प्रश्न 10. स्वतंत्रता के पश्चात् चुनावी सुधारों के विभिन्न प्रयासों पर चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-6, पृष्ठ-96, प्रश्न-3

■■

www.neerajbook.com

Sample Preview
of
The Chapter

Published by:

NEERAJ
PUBLICATIONS
www.neerajbooks.com

भारत में राज्यीय राजनीति

(STATE POLITICS IN INDIA)

भारत में राज्यीय राजनीति का विकास

1

अध्याय का विहंगावलोकन

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त प्रथम दो दशकों में राज्यों की राजनीति केन्द्र के प्रभाव में ही अंकुरित हुई, जिसने भारत में राष्ट्र-राज्य निर्माण के अनुशीलन पर ध्यान केन्द्रित किया। इस काल में राज्य विकास के नेहरूवादी आदर्श और कांग्रेस के एकदलीय प्रभुत्व ने भारत में राजनीति को अभिव्यक्ति प्रदान की। राज्यों की राजनीति मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजनीति का ही प्रतिरूप थी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में केन्द्र सरकार की स्थिति काफी प्रभावशाली थी और राज्यों की राजनीति को द्वितीय स्थान प्राप्त था। केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार राज्यों की सरकारों ने अनेक कदम उठाए, जिससे राष्ट्र-निर्माण को बल प्राप्त हो, जैसे–भूमि सुधार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम। केन्द्र के साथ ही कई राज्यों में भी कांग्रेस की सत्ता अस्तित्व में थी, जो साम्प्रदायिक हितों का प्रतिनिधित्व करती थी और दल के भीतर विभिन्न स्वार्थी गुट राष्ट्रीय स्तर पर स्वार्थी दल के नेतृत्व के उपांग थे। राज्यपाल केन्द्र में अनुकूल सरकार की यथा नियुक्तियों के रूप में कुछेक एक को छोड़कर, निर्विवादात्मक रहते थे, जो एक प्रभावी प्रतिमान था। किन्तु साथ ही राज्यों की राजनीति के अन्तर्गत एक ही समय में असमयता प्रतिमान भी परिलक्षित हुए, जिन्होंने राजनीति के प्रभाव प्रतिमान को चुनौती दी; जैसे–कांग्रेस की प्रमुख स्थिति और राज्यों के प्रभाव की स्थिति, राज्यों की राजनीति की गौण या द्वितीयक स्थिति। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त कुछ ही वर्षों के अन्दर उत्तर-पूर्वी भारत में नागा और मिजो विद्रोह आरम्भ हो गये। जम्मू-कश्मीर में जनमत मोर्चा आन्दोलन आरम्भ हो गया और दक्षिण भारत में राज्यों के पुनर्गठन की माँग तेज हो गयी। बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल में समाजवादियों और वामपंथियों तथा उत्तर भारतीय राज्यों में जनसंघ तथा पंजाब में अकाली दल ने, मिलकर लोगों को कांग्रेस के खिलाफ विभिन्न मुद्दों पर एकजुट किया। महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश में आर.पी.आई. के नेतृत्व में दलित आन्दोलन, महाराष्ट्र में दलित पंथेर, उत्तर भारत में जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व उनके सम्बद्ध दलों के गौ-रक्षा आन्दोलन, हिन्दी भाषा प्रसार हेतु समाजवादी आन्दोलन और तमिलनाडु में हिन्दी भाषा थोपे जाने का विरोध व भारत में मद्रास और तमिलनाडु के विच्छेद हेतु माँग राज्यों की राजनीति के प्रतिमानों के लिए नृजातीय आयामों के आरम्भिक उदाहरण हैं। कांग्रेस के आधिपत्य को गुजरात व राजस्थान में स्वतन्त्र, जैसे–रूढ़िवादी दलों ने भी चुनौती दी और इस घटनाक्रम से प्रभावित **सेलिग हैरिसन** ने 1950 के दशक को 'सर्वाधिक खतरनाक दशक' घोषित कर दिया।

साठ और सत्तर के दशक में राज्यों की राजनीति के प्रतिमानों में परिवर्तन नेहरू जी की मृत्यु के बाद हुए। कांग्रेस पार्टी का पतन

www.neerajbooks.com

और इन्दिरा गाँधी का उदय इन दो दशकों के मध्य राज्यीय राजनीति के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अभिलक्षणों में से एक रहा। कृषि कार्य पर ध्यान आकृष्ट करते हुए चौ. चरण सिंह ने भारतीय क्रान्ति दल का गठन किया। वे दो दशकों तक उत्तर भारत को राजनीति में एक सशक्त वर्ग को नेतृत्व और मंच प्रदान करते रहे। इस अवधि में वे बिहार व हरियाणा में राज्य-स्तरीय नेताओं को साथ लेकर उत्तर भारत की राजनीति पर छाये रहे। उत्तर प्रदेश के नक्शेकदम पर कृषि वर्गों के मध्य प्रबल सामाजिक आधारों को लेकर बड़ी संख्या में राज्यों में सशक्त क्षेत्रीय नेताओं का उदय हुआ। इन नेताओं और पार्टियों ने क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट किया और केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को सुधारे जाने की माँग की। राज्यपाल की भूमिका पर संदेह किया जाने लगा और केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में परिवर्तन की माँग उठी।

क्षेत्रीय नेताओं व राजनीतिक दलों के मध्य समन्वय प्रक्रिया ध्यानाकर्षण का केन्द्र बन गयी और इनमें से कुछ नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की अर्हता प्राप्त कर ली। उन्होंने अपनी शक्ति राज्यीय राजनीति से ही अर्जित की और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का नेतृत्व किया। आपातकाल लागू किये जाने पर अनेक राज्यीय व राष्ट्रीय नेताओं तथा दलों को यह अवसर प्रदान किया कि वे प्रभुत्वपूर्ण कांग्रेस के विरुद्ध एकजुट हो जाएँ। जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारों ने केन्द्र व राज्य दोनों में कुछ कदम उठाये, जिनमें राज्यीय राजनीति की अनुगूँज थी। राज्य स्तरीय नेताओं और राजनीतिक दलों ने न केवल इन्दिरा गाँधी के प्रतीक वाली कांग्रेस के नेतृत्व व संगठन को चुनौती दी, अपितु केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में राज्यों हेतु एक अधिक युक्तियुक्त स्थिति भी प्राप्त करने का प्रयत्न किया। सत्तर के दशक में इन्दिरा गाँधी को जे.पी. आन्दोलन और गुजरात आन्दोलन द्वारा चुनौती मिली।

अस्सी के दशक के बाद घटनाक्रम ने भारत में राज्यीय राजनीति के बदलते दौर और राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों की भूमिका में और अधिक योगदान दिया। यह घटनाक्रम इस प्रकार था–राष्ट्रीय और राज्यीय स्तरों पर गठबन्धन राजनीति की बारम्बारता, भूमण्डलीकरण, नेतृत्व की पुनः एक और पीढ़ी का उद्गमन, नृजाति जैसे दलित पिछड़े वर्ग, जनजाति, भाषा आदि पर आधारित बहुत-सी पहचानों की अधिकार-माँग, किसानों के आन्दोलन, उत्तर-पूर्व, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में विप्लव तथा स्वायत्तता आन्दोलन। बहुजन समाज पार्टी के रूप में उत्तर भारत में दलितों के, बिहार व उत्तर प्रदेश में जनता दलों के विभिन्न अवतरणों के रूप में पिछड़े वर्गों के और विभिन्न जातियों के साथ-साथ धर्म से जुड़े गैर-पार्टी, मोर्चों के राजनीतिकरण ने भारत में राज्यीय राजनीति को नये आयाम प्रदान किये। इस काल में उत्तर प्रदेश व पंजाब में भारतीय किसान संगठनों, महाराष्ट्र में 'शेतकारी संगठन', गुजरात में 'खेदयुत समाज' और कर्नाटक में 'कर्नाटक राज्य रैयत संघ' के रूप में धनिक किसानों का उद्गमन देखा गया।

बीसवीं शताब्दी का अन्तिम दशक आते-आते राज्यीय राजनीति ने एक नया स्वरूप ले लिया। एक ओर जहाँ भूमण्डलीकरण ने केन्द्र की स्थिति को दुर्बल किया तो वहीं दूसरी ओर राज्यों को इस योग्य बना दिया कि राष्ट्रीय के साथ-साथ राज्यीय राजनीति में भी नेतृत्व कर सकें। एफ.डी.आई. से कुछ राज्य लाभान्वित हुए जबकि अन्य पिछड़ गये।

लॉरेन्स सेज की पुस्तक 'फैडरलिज्म विदाउट ए सेंटर' के अनुसार भूमण्डलीकरण ने भारत में राज्यों को इस योग्य बना दिया है कि वे अपनी कार्यसूचियों का अनुसरण करने हेतु स्वतन्त्र सत्ता के रूप में काम कर सकें, अन्तर्राष्ट्रीय दानदाताओं से सीधे सौदेबाजी कर सकें तथा विभिन्न एजेन्सियों के साथ समझौता कर सकें। भूमण्डलीकरण अन्तर-सरकारी संस्थाओं के अपरदन में भी परिणत हुआ है। सेज का यह दावा है कि अन्तर-सरकारी सहयोग ने ही अन्तर-आधिकारिक प्रतिस्पर्द्धा की राह आसान की।

भूमण्डलीकरण का प्रभाव दलीय प्रणाली पर भी पड़ा और अधिकांश राज्यों में दो या दो से अधिक पार्टियाँ मुख्य दलों के रूप में उभरीं, जबकि पश्चिम बंगाल में अपवादस्वरूप एक ही दल का प्रभाव रहा। राज्य-स्तरीय पार्टियाँ विशिष्ट क्षेत्रों, धर्म और जाति की ओर अभिविन्यस्त होती हैं, जो चुनावी गठबन्धनों, मोर्चों और गठबन्धन सरकारों में साझीदारों के माध्यम से अपने प्रभाव का प्रयोग करने में समर्थ होती हैं, जैसे–उत्तर प्रदेश, पंजाब व मध्य प्रदेश में अपना आधार रखने वाली बहुजन समाज पार्टी, उत्तर भारतीय राज्यों में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अकाली दल, पूर्व में उड़ीसा में बीजू जनता दल, दक्षिण में तेलुगुदेशम पार्टी, ऑल इण्डिया अन्ना द्रमुक मुन्नेत्र कड़गम और पश्चिम में शिवसेना आदि।

राजनीतिक दलों की भूमिका आमतौर पर चुनावी संगठन पर आधारित होती है, किन्तु दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों जैसे नव सामाजिक बलों के उद्गमन ने राज्य में गैर-चुनावी संघटन में भी वृद्धि की है। राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों की वृद्धि के कारण कोई एक शक्ति राज्य राजनीति पर हावी होने की स्थिति में नहीं है।

विप्लव सम्बन्धी समस्याएँ विकास, अन्तर-नृजातीय सम्बन्धों तथा स्वायत्तता आदि मामलों से सम्बद्ध हैं। विप्लव राष्ट्र-राज्य या उसका विवरण देने वालों के खिलाफ दिशा-निर्देशित होता है और नृजातीय उपद्रवों तथा नृजातीय समूहों के मध्य संघर्ष को जन्म देता है। विप्लव की घटना भारत के लिए कोई नई नहीं है और अस्सी के दशक में तो इसने अन्य राज्यों में भी अपने पाँव पसार लिये। सत्तर के दशक तक राज्य स्तरीय नेताओं व दलों ने प्रबल दल प्रणाली को चुनौती दी थी। विप्लव आन्दोलन संघ-निर्माण अभिगम के समर्थन में केन्द्र के राष्ट्र-निर्माण अभिगम को समांगी बनाये जाने पर आपत्ति करते हैं। कुछ मामलों में विप्लव स्वायत्त आन्दोलन

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

या बाहरी व्यक्तियों के विरुद्ध आन्दोलन का उपजात रहा है। इस प्रक्रिया में नव समूह स्वायत्तता या आत्म निर्णयन की माँग करते हैं।

स्वपरख अभ्यास-प्रश्न

प्रश्न 1. स्वतन्त्रता के पश्चात प्रथम दो दशकों में भारत में राज्यीय राजनीति के प्रभावी लक्षण क्या रहे?

उत्तर–स्वतन्त्रता के उपरान्त प्रथम दो दशकों में राज्यों की राजनीति केन्द्र के प्रभाव में ही अंकुरित हुई और भारत में राष्ट्र-राज्य निर्माण के अनुशीलन में इसने अपना योगदान दिया। इस अवधि में विकास के नेहरूवादी आदर्श और कांग्रेस के एक दलीय प्रभुत्व ने ही भारत में राजनीति को नई दिशा दी।

इकबाल नारायण के शब्दों में, ''नेहरू के जीवन काल में ही भारत ने राज्य आधारित क्षेत्रीय राजनीति में प्रवेश कर लिया था, उनकी मृत्यु ने इस प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान कर दी।''

पण्डित नेहरू 1963 में 'कामराज योजना' के माध्यम से केन्द्र और राज्य की राजनीति पर एक बार फिर से नियन्त्रण स्थापित करना चाहते थे, किन्तु इसमें उन्हें आंशिक सफलता ही प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश में सत्ता-परिवर्तन उनकी इच्छानुसार नहीं हुआ और गुजरात में भी नेतृत्व परिवर्तन उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ। **जे.डी. सेठी** के शब्दों में, ''नेहरू के अन्तिम दिनों में राजसत्ता केन्द्र से राज्यों की ओर उन्मुख हो गयी थी।''

इस काल में राज्य राजनीति के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित थे–

***(i)* उत्तराधिकारियों का चयन और राज्य**–नेहरू काल की तुलना में उत्तर-नेहरू काल में राज्य राजनीति के कर्णधार कितने अधिक प्रभावशाली हो गये थे, इसका पता इस बात से लग जाता है कि जब मई, 1964 और जनवरी, 1966 में प्रधानमन्त्री का पद रिक्त हुआ, तो नेहरू जी के उत्तराधिकारी के चयन में राज्य नेताओं ने अत्यधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1966 में राज्य नेताओं की भूमिका सर्वाधिक निर्णयकारी थी।

वीनर के शब्दों में, ''व्यवहार के अन्तर्गत प्रधानमन्त्री के चयन की प्रक्रिया से संसदीय नेतृत्व की अपेक्षा राज्यों के नेतृत्व ने निर्णयकारी भूमिका अदा की।

***(ii)* राज्यों में गुटबन्दी**–नेहरू जी के बाद के युग में निरन्तर असन्तोष में वृद्धि और कांग्रेस में शिखर व्यक्तित्व का अभाव आदि कारणों से राज्यों में गुटबन्दी अत्यधिक तीव्र हो गयी और विभिन्न राज्यों में कांग्रेस के ही एक वर्ग ने कांग्रेस से सम्बन्ध-विच्छेद कर क्षेत्रीय दलों का निर्माण किया। इनमें जनता पार्टी (राजस्थान), केरल कांग्रेस (केरल), बंगाल कांग्रेस (प. बंगाल) आदि प्रमुख दल थे।

***(iii)* विरोधी दल और गठबन्धन**–चतुर्थ आम चुनाव के पहले विरोधी दलों द्वारा इस राजनीतिक सत्य को अंगीकार कर लिया गया कि अकेले रहकर राज्य स्तर पर भी सत्ता प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए चौथे आम चुनाव के पूर्व चुनाव मोर्चे के रूप में और चुनावों के उपरान्त संविद सरकारों के रूप में विरोधी दलों द्वारा गठबन्धनों का निर्माण किया गया।

***(iv)* क्षेत्रवाद**–राजनीति में नेहरू जैसे महान व्यक्तित्व के अभाव और अन्य अनेक कारणों से इस काल में राज्यों की राजनीति में क्षेत्रीयतावादी प्रवृत्तियाँ हावी हो गयीं और कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा ऐसी असंगत बातें कही जाने लगीं, जिनकी तार्किक परिणति भारतीय संघ से सम्बन्ध-विच्छेद होता। इन प्रवृत्तियों की प्रबलता तमिलनाडु, पंजाब और असम जैसे राज्यों में परिलक्षित हुई।

राज्यीय राजनीति के प्रभावी होने का एक अन्य परिणाम यह हुआ कि पहले योजना सम्बन्धी कार्यों में योजना आयोग की भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण थी, किन्तु अब मुख्यमंत्रियों ने इस बात पर बल देना शुरू कर दिया कि योजना सम्बन्धी अन्तिम निर्णय उनके द्वारा ही किये जाने चाहिये।

सत्तर का दशक और राज्यीय राजनीति–इस काल में राज्यीय राजनीति के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित थे–

1. राज्यों में कांग्रेस के वर्चस्व का ह्रास–अब तक राज्यों में भी सत्ता पर कांग्रेस दल का वर्चस्व था, किन्तु चौथे आम चुनावों द्वारा राज्यों की सत्ता पर कांग्रेस के इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि कांग्रेस 17 में से 8 राज्यों में बहुमत प्राप्त करने में असफल रही। ये थे बिहार, केरल, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और प. बंगाल। इस प्रकार राज्यों में एक दल की प्रमुखता के स्थान पर प्रतियोगीय दलीय व्यवस्था स्थापित हुई।

डॉ. सुभाष कश्यप के शब्दों में, ''इस काल की राज्य राजनीति का सबसे प्रमुख लक्षण है–कांग्रेस की शक्ति का ह्रास और गैर-कांग्रेसी दलों की बढ़ती हुई शक्ति।''

2. गठबन्धन सरकार–जनता ने किसी एक विरोधी दल को विश्वास देने के बजाय विभिन्न विरोधी दलों में अपने विश्वास को बाँट दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि एक दलीय सरकार के स्थान पर गठबन्धन सरकार कायम हो गयी, यह गठबंधन जो वैचारिक सभ्यता पर केन्द्रित होने के बजाय बेमेल-अवसरवादी गठबन्धन था। सरकार के भागीदारों में प्रशासनिक कुशलता, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा जन उत्तरदायित्व के साथ ही अनुशासन की भावना का अभाव था और ये सभी कारक इन सरकारों की असफलता के कारण बने।

3. दल-बदल–दल-बदल भारतीय राजनीति का एक हिस्सा रहा है, किन्तु 1966 के बाद राज्यों में यह स्थिति अत्यधिक भयावह हो गयी। चतुर्थ आम चुनाव और फरवरी, 1969 के चुनावों के मध्य राज्यों और संघशासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के प्रायः 3500 सदस्यों में से लगभग 550 ने अपनी राजनीतिक आस्थाओं में परिवर्तन किया। बहुत-से विधायकों ने एक से अधिक बार और दो वर्ष की अवधि में एक हजार से अधिक दल-बदल हुए। इसकी

www.neerajbooks.com

तुलना में चौथे आम चुनाव से पूर्व के दशक में दल-बदल के कुल 542 मामले प्रकाश में आये, जो दोतरफा थे–कांग्रेस से विरोधी दलों और विरोधी दलों से कांग्रेस की ओर। दल-बदल की घटनाएँ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्य तथा मणिपुर, पाण्डिचेरी के संघशासित क्षेत्रों में अधिक देखी गयी। इससे राज्यों की राजनीति में अत्यधिक अस्थिरता व्याप्त हो गई। फलस्वरूप राजनीति का स्वरूप विकृत हो गया।

4. राजनीतिक अस्थिरता–बेमेल गठबन्धन सरकारों और राजनीतिक दल-बदल का स्वाभाविक परिणाम राजनीतिक अस्थिरता से कम कुछ भी नहीं हो सकता था और जो हुआ। चतुर्थ आम चुनाव के 15 माह के उपरान्त ही हरियाणा विधानसभा के चुनाव करने पड़े और फरवरी, 1969 में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और पंजाब विधानसभा के चुनाव हुए। फरवरी, 1967 से फरवरी, 1969 के मध्य बिहार में 6 सरकारें बनीं और इसमें सर्वाधिक चलने वाली सरकार की अवधि 9 माह 25 दिन थी। इस अवधि में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना एक आम बात हो गयी। इससे केवल कुछ राज्य ही बच पाये।

5. आन्दोलन की राजनीति–चतुर्थ आम चुनाव के पहले और बाद में राज्य स्तर पर आन्दोलनों की राजनीति अत्यधिक बढ़ गयी। विद्यार्थी, श्रमिक वर्ग, सरकारी कर्मचारी, बैंक कर्मचारी और व्यापारी सभी ने अपने-अपने ढंग से आन्दोलन की राजनीति को स्वीकार किया और अनेक शासक दलों ने अपने संकुचित राजनीतिक स्वार्थों की दृष्टि से इसे गति प्रदान की। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा 'अंग्रेजी हटाओ' और 'छोटी जोत पर लगान समाप्ति' आदि विषयों पर आन्दोलन किये।

6. केन्द्र से संघर्ष और राजनीति–कुछ पक्षों द्वारा 1967 के आरम्भ में यह आशा प्रकट की गयी थी कि केन्द्र की कांग्रेसी सरकार और कुछ राज्यों की गैर-कांग्रेसी सरकारों के मध्य अच्छे सम्बन्ध बने रहेंगे, किन्तु 1967 के मध्य से ही इस स्थिति को आघात पहुँचने लगा और यह धारणा निर्मूल सिद्ध हुई। राज्यपाल की नियुक्ति आचरण, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने, घेराव और औद्योगिक विवादों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के दृष्टिकोण, वित्तीय संसाधनों के बँटवारे, राज्यों को खाद्यान्न की सहायता तथा केन्द्रीय सुरक्षा दल भेजने आदि विषयों को लेकर राज्यों और केन्द्र में विवाद तथा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गयी।

सी.एस. पण्डित के शब्दों में, "1967 के पूर्व केन्द्र और राज्यों के बीच जो भी विवाद होते थे, उन्हें दल के भीतर ही हल कर लिया जाता था, लेकिन अब यह सम्भव नहीं था। अब प्रत्येक मतभेद सार्वजनिक वाद-विवाद का विषय बनने लगे।"

प्रश्न 2. कांग्रेस प्रणाली अथवा प्रबल-दल प्रणाली के पतन के क्या कारण रहे?

उत्तर–कांग्रेस प्रणाली के पतन के कारण चतुर्थ आम चुनाव में कांग्रेस की असफलता के निम्नलिखित कारण रहे–

1. चौथे आम चुनाव कांग्रेस ने पण्डित नेहरू जैसे महान व्यक्तित्व के बिना ही लड़े। भारत पाक-युद्ध ने शास्त्री जी के रूप में राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्र को प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान किया था, किन्तु वे अधिक समय तक नहीं रहे। जनवरी, 1966 में श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने प्रधानमन्त्री पद ग्रहण किया था, किन्तु उनका व्यक्तित्व नेहरूजी की तुलना में गौण ही था।

2. 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण और भारत की पराजय ने जनता की नजरों में कांग्रेसी शासन को असफल सिद्ध कर दिया। साथ ही कांग्रेस 1967 तक चीन से भारतीय प्रदेश मुक्त न करा सकी, जिस पर चीन ने 1962 की लड़ाई में कब्जा कर लिया था।

3. 1967 के पूर्व की दुर्बल आर्थिक स्थिति भी कांग्रेस की असफलता में महत्त्वपूर्ण कारक सिद्ध हुई। खाद्यान्नों के अभाव और अत्यधिक महँगाई से जनता पीड़ित थी और साधारण जनता के लिए अपना भरण-पोषण करना दुरूह होता जा रहा था। शासन द्वारा रुपये के अवमूल्यन करने से सरकार की प्रतिष्ठा गिरी और आर्थिक कठिनाइयों में वृद्धि हो गयी।

4. विरोधी दलों द्वारा संचालित कुछ आन्दोलनों का भी चुनाव परिणामों पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जैसे–उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के महँगाई भत्ता बढ़ाना। आन्दोलन ने कांग्रेस को क्षति पहुँचाई तो गो-वध विरोधी आन्दोलन ने जनसंघ को लाभ पहुँचाया।

5. विद्यार्थियों और युवा वर्ग में कांग्रेस शासन के प्रति व्यापक असन्तोष व्याप्त था और मद्रास जैसे कुछ राज्यों में इसने निर्णायक भूमिका अदा की।

6. 1967 के चुनाव के पूर्व ही कांग्रेस में गुटबन्दी अपने चरम पर पहुँच गयी थी और कांग्रेस के ही कुछ नेताओं द्वारा कांग्रेस से पृथक् होकर नए गुटों का निर्माण कर लिया गया। अजय मुखर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में बंगाल कांग्रेस, बिहार में महामाया प्रसाद के नेतृत्व में जनक्रान्ति दल और राजस्थान में कुम्भाराम के नेतृत्व में जनता पार्टी ऐसे दल थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की पराजय को सरल बना दिया। साथ ही आन्तरिक गुटबन्दी भी कांग्रेस की हार का कारण बनी।

7. जनता राजनीतिक परिवर्तन चाहती थी और विरोधी दलों को राजनीति में सकारात्मक भूमिका अदा करने का अवसर देना चाहती थी, जिससे उनके द्वारा किये गये बड़े-बड़े वादों को परखा जा सके।

छठी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। इसके लिए निम्नलिखित तत्त्व उत्तरदायी रहे–

1. 1975 में शासन द्वारा आपातकाल की घोषणा की गयी और उसका कारण आन्तरिक अव्यवस्था तथा अराजकता उत्पन्न होने की आशंका बतलाया गया। किन्तु मतदाता इस तथ्य को भली-भाँति समझ गये कि श्रीमती गाँधी द्वारा स्वयं को सत्ता में बनाये रखने हेतु ही आपातकाल घोषित किया गया है। इस आपात्काल में निरंकुश शासन और ज्यादतियाँ परिलक्षित हुईं, जैसे–प्रतिष्ठित राजनीतिक